सं० एफ० 4(1) संस्था० III|बी|71

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18th December, 1971.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत सरकार द्वारा भाग (ख) के राज्यों से लिए गए स्थायी कर्मचारियों द्वारा विकल्प देने तथा उनकी पिछली सेवा की छुट्टी, पेंशन आदि के लिए शामिल करने के सम्बन्ध में हिदायतें ।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 18-2-1952 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 16(2)ई III|52 के पैराग्राफ 2 का हवाला देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह निर्णय किया गया है कि भूतपूर्व भाग(ख) के राज्यों के जिन स्थायी कर्मचारियों ने विलयन-पूर्व वेतनमानों, भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों के अधीन रहने का विकल्प दिया है और जो अभी भी उन्हीं से शासित होते हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों के अधीन आने के लिये एक नया विकल्प देने की अनुमति दी जाय ।

2. ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे । भूतपूर्व भाग(ख) के राज्य का जो कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के वेतनमान, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के लिये विकल्प देता है, उसके मामले में वेतन, मूल नियम 22(ए)(1) के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार के वेतनमान में तुरन्त नियत किया जायगा और जिस तारीख से वह केन्द्रीय वेतनमान में लाया जाता है उस तारीख से सभी मामलों में वह केन्द्रीय सरकार के नियमों, आदेशों तथा सेवा की अन्य शर्तों से शासित होगा ।

(कृ० पृ० उ०)

3. यह विकल्प, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से, तीन महीने के भीतर लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग द्वारा लिए गए कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किए गए हैं।

बी एस निम

(बी० एस० निम)

अवर सचिव भारत सरकार.

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को।

(डि,मं,व)